



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262086
CG-DL-E-28032025-262086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

No. 1506]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1524(अ).—केंद्र सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर कला आयोग में अध्यक्ष (अंशकालिक) के रूप में श्री अजीत पई का कार्यकाल तथा सदस्य (अंशकालिक के रूप में) प्रो. (डा.) मनदीप सिंह, श्री आशुतोष कुमार अग्रवाल, श्रीमती निवेदिता पांडे और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव (डी) श्रीमती डी. तारा के कार्यकाल को 03 अप्रैल, 2025 से छह माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जो भी पहले हो, तक एतद्वारा बढ़ाया गया है।

[फा. सं. ए-11013/1/2020-डीडी II]

सूर्य नारायण झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Delhi Division-II)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1524(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby extends the period of tenure of Shri Ajit Pai, as Chairman (Part-time) and Prof. (Dr.) Mandeep Singh, Shri Ashutosh Kumar Agarwal, Smt. Nivedita Pande and Smt. D. Thara, Additional Secretary (D) in the Ministry of Housing and Urban Affairs as Members (Part-time) in the Delhi Urban Art Commission, for a period of six months with effect from 3rd April, 2025 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11013/1/2020-DD.II]

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.